



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत

दिनाँक

13.02.2025

थाना बडौत पुलिस एवं स्वाट बागपत की संयुक्त टीम ने थाने के मु0अ0सं0 23/2025 धारा 115(2) /118(1)/109/309(5) बीएनएस में वांछित 25,000 रुपये के ईनामिया 01 अभियुक्त को बाद पुलिस मुठभेड़ घायल अवस्था में किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस .315 बोर, 01 अवैध चाकू व 01 मोटरसाइकिल स्प्लैण्डर बिना नम्बर प्लेट बरामद ।

### संक्षिप्त विवरण –

दिनाँक 14.01.2025 को थाना बडौत पर वादी श्री सराजूदीन पुत्र यासीन निवासी ग्राम बड़का थाना बडौत जनपद बागपत ने तहरीर दी कि 03-04 अज्ञात अभियुक्तों द्वारा वादी के पुत्र शहनवाज के साथ मारपीट करते हुए चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया है । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बडौत पर मु0अ0सं0 23/25 धारा 115(2)/118(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया था।



## कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस एवं स्वाट बागपत की संयुक्त टीम द्वारा थाने के मु0अ0सं0 23/2025 धारा 115(2)/118(1)/109/309(5) बीएनएस में वांछित 25,000 रुपये के ईनामिया 01 अभियुक्त को बाद पुलिस मुठभेड़ घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस .315 बोर, 01 अवैध चाकू व 01 मोटरसाइकिल स्पलैण्डर रंग काला बिना नम्बर प्लेट बरामद हुई है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बडौत पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट- उपरोक्त मु0अ0सं0 23/25 धारा 115(2)/118(1) बीएनएस बनाम अज्ञात में विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तों 1.वासू पुत्र राजकुमार, 2.राजन पुत्र ओमप्रकाश,3. ध्रुव भारद्वाज पुत्र राहुल शास्त्री निवासीगण पट्टी चौधरान कस्बा बडौत थाना बडौत जनपद बागपत व 4. अंकित पुत्र प्रवीण उर्फ पप्पू निवासी ग्राम ट्यौढी थाना बडौत जनपद बागपत के नाम प्रकाश में आये हैं तथा उपरोक्त अभियोग में प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर धारा 109/309(5) बीएनएस व धारा 4/25 आयुद्ध अधिनियम की बढोत्तरी की गयी है।

नोट:- उक्त अभियोग में प्रकाश में आये अभियुक्त अंकित पुत्र प्रवीण उर्फ पप्पू निवासी ग्राम ट्यौढी थाना बडौत जनपद बागपत की गिरफ्तारी पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद बागपत द्वारा 25,000 रुपये का ईनाम घोषित किया गया है।

नोट:- उपरोक्त अभियोग में थाना बडौत पुलिस द्वारा पूर्व में अभियुक्तों 1.वासू पुत्र राजकुमार, 2.राजन पुत्र ओमप्रकाश,3. ध्रुव भारद्वाज पुत्र राहुल शास्त्री निवासीगण पट्टी चौधरान कस्बा बडौत थाना बडौत जनपद बागपत को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

## गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. अंकित पुत्र प्रवीण उर्फ पप्पू निवासी ग्राम ट्यौढी थाना बड़ौत जनपद बागपत ।  
(घायलावस्था)

## बरामदगी का विवरण-

- 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस .315 बोर
- 01 अवैध चाकू व 01 मोटरसाइकिल स्प्लैण्डर प्लस बिना नम्बर प्लेट।

## गिरफ्तार अभियुक्त अंकित का आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 339/22 धारा 413/414/482 भादवि थाना रमाला जनपद बागपत।
2. मु0अ0सं0 294/23 धारा 379 भादवि थाना रमाला जनपद बागपत।
3. मु0अ0सं0 108/22 धारा 379/411 भादवि थाना बालैनी जनपद बागपत।
4. मु0अ0सं0 45/24 धारा 411/413/420/465 भादवि व 3/25 आयुध अधि0 थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
5. मु0अ0सं0 25/24 धारा 379/411 भादवि थाना बड़ौत जनपद बागपत।
6. मु0अ0सं0 03/25 धारा 326(f) बीएनएस थाना बड़ौत जनपद बागपत।
6. मु0अ0सं0 23/25 धारा 115(2) /118(1)/109 बीएनएस व 4/25 आयुध अधि0 थाना बड़ौत जनपद बागपत।
7. मु0अ0सं0 91/25 धारा 109 बीएनएस व 3/25 आयुध अधि0 थाना बड़ौत जनपद बागपत।

## गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- प्रभारी निरीक्षक श्री मनोज कुमार चाहल थाना कोतवाली बड़ौत जनपद बागपत।
- 2- स्वाट टीम प्रभारी उ0नि0 श्री सूर्यदीप मय टीम जनपद बागपत।
- 3- उ0नि0 श्री पंकज कुमार थाना कोतवाली बड़ौत जनपद बागपत ।
- 4- उ0नि0 श्री विकास कुमार थाना कोतवाली बड़ौत जनपद बागपत ।
- 5- उ0नि0 श्री प्रेमपाल सिंह थाना कोतवाली बड़ौत जनपद बागपत ।
- 6- है0का0 226 धर्मेन्द्र सिंह थाना कोतवाली बड़ौत जनपद बागपत ।
- 7- है0का0 111 मुन्नालाल थाना कोतवाली बड़ौत जनपद बागपत ।
- 8- है0का0 316 नागेन्द्र सिंह थाना कोतवाली बड़ौत जनपद बागपत ।
- 9- का0 666 रघुवीर सिंह थाना कोतवाली बड़ौत जनपद बागपत ।
- 10- का0 647 प्रवीण कुमार थाना कोतवाली बड़ौत जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत

दिनांक 13.02.2025

थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 24/25 धारा 191(2)/191(3)/115(2)/118(1)/110 बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

**संक्षिप्त विवरण:-**

दिनांक 14.01.2025 को वादी श्री रवि कुमार पुत्र श्री पालेराम निवासी रविदास कॉलोनी थाना बडौत जनपद बागपत ने सूचना दी कि अभियुक्तों 1.वंश पुत्र सुभाष, 2.सोयम पुत्र बिजेन्द्र 3.साहिल पुत्र हुस्ना व 02 अज्ञात निवासीगण नामालूम द्वारा एक राय होकर वादी के



भाई राहुल के साथ मारपीट की तथा धारदार हथियार से वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिससे उसे गम्भीर चोटें आयीं । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बडौत पर मु0अ0सं0 24/25 धारा 191(2)/191(3)/115(2)/118(1)/110 बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

**कार्यवाही-**

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 24/25 धारा 191(2)/191(3)/115(2)/118(1)/110 बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

### अभियुक्त का नाम पता:-

सोयम उर्फ हकला पुत्र श्री बिजेन्द्र बडौली रोड कसबा व थाना बडौत जनपद बागपत।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री संजय सिंह पूनिया बडौत ।
- 2-है0क0 542 अशोक कुमार थाना बडौत ।
- 3-का0 621 प्रदीप कुमार थाना बडौत ।



प्रेस नोट

थाना खेकडा

दिनांक 13.02.2025

**थाना खेकडा पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।**

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारन्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।



### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

सुनील पुत्र श्रीपाल निवासी ग्राम महरमपुर थाना खेकडा जनपद बागपत ।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1-उ0नि0 श्री दीपक कुमार थाना खेकडा ।
- 2-है0का0 376 गंगादास सिंह थाना खेकडा ।
- 3-है0का0 634 योगेन्द्र कुमार थाना खेकडा ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना खेकड़ा

दिनांक 13.02.2025

थाना खेकड़ा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 48/25 धारा 191(2)/191(3)/190/115(2)/118(1)/117(2)/109/352/351(2) बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्ता को किया गिरफ्तार ।

### संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 08.02.2025 को थाना खेकड़ा पर वादी श्री चेतन पुत्र संजय निवासी पट्टी अहीरान कस्बा व थाना खेकड़ा जनपद बागपत ने सूचना दी कि अभियुक्तों



1. भंवर सिंह, 2. गिरधारी पुत्र भंवर सिंह, 3. गौरव, 4. विपिन, 5. सचिन पुत्रगण गिरधारी व 01 महिला निवासीगण पट्टी अहीरान कस्बा व थाना खेकड़ा जनपद बागपत द्वारा एक राय होकर लाठी-डण्डों व धारदार हथियार से लैस होकर जान से मारने की नीयत से उसके व उसके परिजनों के साथ मारपीट की गयी, जिसमें वादी गम्भीर रूप से घायल हो गया । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना खेकड़ा पर मु0अ0सं0 48/25 धारा 191(2)/191(3)/190/115(2)/118(1)/117(2)/109/352/351(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

### कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकड़ा पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 48/25 धारा 191(2)/191(3)/190/115(2)/118(1)/117(2)/109/352/ 351(2) बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया है ।

उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना खेकडा पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्ता का नाम व पता-

01 महिला ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1-उ0नि0 श्री अबरार हुसैन थाना खेकडा ।

2-म0का0 47 आभा सिंह थाना खेकडा ।





प्रेस नोट

थाना रमाला

दिनांक 13.02.2025

थाना रमाला पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 35/25 धारा 110/115(2)/351(2)/352/117(2) बीएनएस से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक डण्डा बरामद ।

### संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 12.02.2025 को थाना रमाला पर वादी श्री विवेक पुत्र बाबूराम निवासी ग्राम हसनपुर जिवानी थाना रमाला जनपद बागपत ने सूचना दी कि अभियुक्तों 1. विपिन, 2. कपिल पुत्रगण किरणपाल 3. राजीव पुत्र



प्रकाश व 01 महिला निवासीगण ग्राम हसनपुर जिवानी थाना रमाला जनपद बागपत के द्वारा उसके व उसके परिजनों के साथ लाठी-डंडो से मारपीट की गयी व गाली-गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी दी, जिससे उसकी बहन के सिर में गम्भीर चोट आयी । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना रमाला पर मु0अ0सं0 35/24 धारा 110/352/351(2)/115(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

नोट- उक्त अभियोग की विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्य के आधार पर धारा 117(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी ।

### कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 35/25 धारा 110/115(2)/351(2)/352/117(2) बीएनएस से

सम्बन्धित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक डण्डा बरामद हुआ है।

उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना रमाला पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1-विपिन पुत्र किरणपाल निवासी ग्राम हसनपुर जिवानी थाना रमाला जनपद बागपत।

2-कपिल पुत्र किरणपाल निवासी ग्राम हसनपुर जिवानी थाना रमाला जनपद बागपत।

### बरामदगी का विवरण-

- घटना में प्रयुक्त एक डण्डा।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ०नि० श्री श्याम सिंह थाना रमाला जनपद बागपत।

2-है०का० 351 पवन नागर थाना रमाला जनपद बागपत।

3-हो०गा० 560 मैनपाल थाना रमाला जनपद बागपत।

